floods for a short while. Wherever the cuts took place, the water mostly flowed into the rivers, and there was some flooding in the villages also.

SHRI SATISH AGARWAL : Have you received any report from Rajasthan ?

SHRI RAO BIRENDRA SINGH : Rajasthan areas were also receiving some irrigation waters from Bhakra, there is very little irrigation from Bhakra Main Canal in Rajasthan are and therefore I do not think that there is much damage.

गौवध पर प्रतिबन्ध

209 **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गौ और गौवंश-वध पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) किन-किन राज्यों में उक्त प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और किन-किन राज्यों में यह प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ; और

(ग) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिबन्ध लगाया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पशुओं की सुरक्षा का विषय एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य के विधान मण्डलों को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। तदनुसार, विभिन्न राज्यों ने गाय तथा इसकी संतति के वध को रोकने के संबंध में उपयुक्त कानून बनाये हुए हैं।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार असम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल में गाय तथा इसकी संतति के वध को रोकने के संबंध में कानून बने हुए हैं। मेघालय, नागालैंड तथा त्रिपुरा में ऐसे कोई कानून नहीं हैं।

(ग) पांच संघ राज्य क्षेत्रों में गाय तथा इसकी संतति के वध को रोकने के लिए कानून बने हुए हैं। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित आहार प्रवृति तथा लोगों की सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराओं की वजह से ऐसे कोई कानून नहीं हैं।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय हमारे यहां कहा गया है गावो मातर : सर्वभूतानाम्। गोपाल कृष्ण की संस्कृति का यह देश गांवों का है, गांवों का आर्थिक विकास कृषि पर निर्भर है और कृषि गौवंश संरक्षण और संवर्धन पर निर्भर करती है। हमारे देश की विकासगति कहने के लिए तो पेकेनाइज्ड हो गई है किन्तु गांवों का विकास मुख्यत: कृषि पर निर्भर होता है। वहां गौवंश संरक्षण और संवर्धन महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए महात्मागांधी और आचार्य विनोबाभावे ने भी कहा है कि यह गांवों का देश है और इस आधार पर उन्होंने गौवध को निषिद्ध करने के लिये बारबार कहा है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बताया गया है जिन जिन प्रदेशों में इसको प्रतिबन्धित किया गया है इस सारी

बात को लेकर इस विषय को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करने के लिये केन्द्रीय सरकार को क्या आपत्ति है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष जी, मेरे साथी ने बताया कि किन किन राज्यों में कानून बना दिये गये हैं। हमारे संविधान में यह स्टेट सबजेक्ट है। स्टेट लेजिस्लेचर्स ही इसके सम्बन्ध में कानून बना सकती हैं।लेकिन उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों को अच्छी तरह पता होगा कि जनता सरकार जब यहां थी तो कोशिश हुई इसको कानकरेंट लिस्ट में लाने के लिये, और लोक सभा में अमेंडिंग बिल भी पेश हुआ 1979 में, और जनता सरकार ने कई साल राज किया लेकिन इस कानून को पास नहीं कर सके, संविधान में तबदीली नहीं करा सके। आप अब कहते हैं हमसे कि क्यों नहीं तबदीली करायी जा रही है...

श्री मधु दंडवते : गऊ स्लाटर से पहले हमारा स्लाटर हो गया।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम अपना स्लाटर उसी तरह नहीं करना चाहते।

श्री सत्यनारायण जटिया : गौ हत्या होती रहे लेकिन इनकी सरकार जिन्दा रहे यह कैसी विडम्बना है।

राव बीरेन्द्र सिंह : हमने बारबार जोर दिया है कि जो कानून बने हुए हैं पूरी तरह से लागू किया जाय। प्रधानमंत्री इस बारे में चिट्ठी लिख चुकी हैं, मैंने भी तीन बार चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठियां लिखी हैं और मुख्यमंत्रियों ने तवज्जेह भी दी है। लेकिन ज्यादातर जितने कानून बने हैं उनमें कुछ छूट है कि 14, 15 साल की उम्र का कोई इनवैलिड बैल हो तो उसको काटा जा सकता है। हो सकता है कि कहीं कहीं इसका फायदा उठाया जा रहा हो। लेकिन गौ मांस के बुटचर्ट पर पूरा बेन है। यहां कजम्पशन के लिये कहीं कहीं बच होता है। ज्यादातर स्टेट्स ने जो कानून बनाया है उसमें गऊ के काटने पर पाबन्दी है, लेकिन कुल को काटने के लिए उम्र के लिहाज से 14, 15 साल के बाद बूढ़े, इनवैलिड बैल के लिये परमीशन है। उसमें जो गलत फायदा उठाया जाता है काटने के लिये कानून में कुछ रास्ता निकाल कर उसको हम बन्द करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ राज्यों ने बहुत ही इफेक्टिव कदम उठाये हैं, आपको ताज्जुब होगा जान कर कि सब से अच्छा कानून इस मामले में जम्मू-कश्मीर का है जहां कतई पाबन्दी है गोवंश के वध पर। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में पूरी पूरी पाबन्दी है। यह पुराना जम्मू-कश्मीर का रनबीर पीनल कोड है जिसके तहत पाबन्दी लगा दी गई थी जम्मू कश्मीर में इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश और राजस्थान ने जो कानून बनाया है, उसमें पूरी पाबन्दी है, सिवाय इसके कि मर्सी किलिंग की जाये या रिसर्च के लिए कोई दूसरी चीज हो। इन तीन स्टेट्स ने तो बहुत ही मुकम्मल पाबन्दी लगाई है और वहां पर अमल भी हो रहा है सारी स्टेट्स को हम कहते रहते हैं कि जहां तक भी हो सके जो कानून बनाया हुआ है, उस पर अमल करा जाये।

श्री सत्यनारायण जटिया : पहले वाली सरकार ने प्रतिबन्ध नहीं लगाया तो यह सरकार भी नहीं लगायेगी, यह सरकार

लगायेगी तो उसका भी कोई टिकाना रहेगा, यह तो विचारणीय प्रश्न है।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह भी मैंने श्री मधु दंडवते जी के जवाब में मजाक में कहा था, आप सीरियसली न समझें।

श्री सत्य नारायण जटिया : मैं केवल इस बात पर सीरियस हूं कि गोवंश का संवर्धन और रक्षण हो सके। बाकी अन्य बात जो आने कही है, उसे जिस आपने कहा है, उसी प्रकार समझा हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : 6 महीने बाद टिकट कटेंगे तो वह भी स्लौटर ही हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए पहले ही कानून बना लें।

श्री सतीश अग्रवाल : हम उसमें आते नहीं, बड़े बूढ़ों की बात है रामराव साहब बूढ़ों-बूढ़ों की बात कही है।

श्री सत्य नारायण जटिया : मंत्री महोदय ने जो कहा है कि कुछ प्रदेशों ने पाबन्दी लगाई है, यह ठीक है, किन्तु समूचे देश में यह बात कैसे हो सकेगी ? इसके लिये प्रभावी उपाय करें, केवल कहा है, तो कहने में और उपाय करने मे अन्तर होता है। मैं समझता हूं कि सरकार इसके बारे में निर्णय करेगी ?

(व्यवधान)

यह विषय गम्भीर है, इसको सब जानते हैं। इसके बारे में जो चिन्ता व्यक्त की गई है, निश्चित रूप से अगर सरकार मन से करना चाहे तो यह हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप पूछिये कि इन तीनों स्टेट्स का अनुकरण क्यों नहीं करते? यह हो जाय तो सवाल मुक जाये।

श्री सत्य नारायण जटिया : जो तीन प्रदेशों ने किया है, यह हमारे लिये गौरव की बात है। जम्मू-काश्मीर स्टेट ने इस मसले को गंभीरता से लिया है तो सारा देश क्यों नहीं ले सकता है ? लागू क्यों नहीं हो सकता है ? यह कानून के माध्यम से लाभ होगा। यदि सरकार कानून नहीं बना सकती है तो मैं समझता हूं कि इसके पालन में कठिनाई होगी। सारी बातें मनवाने के लिये और प्रधान मंत्री से मिलने के लिये गौरक्षा समिति ने समय मांगा था, मैं जानना चाहता हूं कि वह मिला है या नहीं ? इसके बारे में जानकारी दें और बतायें कि कितने लोगों ने शापन पर हस्ताक्षर किये ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने तीन स्टेट्स का नाम लेकर उनकी तारीफ की है, उसका मकसद यही था कि दूसरी स्टेट्स का भी उत्साह बढ़े, कुछ एजूकेशन हो, लोगों के समझ में बात आये। इसलिए सरकार की मंशा तो साफ जाहिर हो गई कि हम चाहते हैं, जो बात आप चाहते हैं लेकिन समझने और समझाने की बात है

श्री सत्य नारायण जटिया : यही नीति और नियत में फर्क है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह कास्टीट्यूशन अमैंडमैंट की बात है, इसको अमैंड करना

कोई सहज बात नहीं है, इसका तजुर्बा आप अपने राज्य के समझ कर चुके हैं।

SHRI R P GAEKWAD : My family's name came because one of my incestors saved a cow for being slaughtered. So, I think I have a legitimate right to ask a question.

MR. SPEAKER : I think we recognise that right.

SHRI R P GAEKWAD : Well, I am not totally against slaughtering of cows but looking to the sentiments and feelings of the people, the State Governments are not doing their job properly with the result that good, healthy animals are being butchered.

MR. SPEAKER : That is what he has already replied.

SHRI R P GAEKWAD : Because of that, prices of cattle are going up. Is any project for breeding cattle for meat being undertaken or thought of by the government so that good animals are not slaughtered ?

MR. SPEAKER : That he has already replied, I think.

श्री भीम सिंह : अभी माननीय मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि गाय का कोई मांस एक्पोर्ट नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि अपने कंट्री में सबसे बड़ा बूचड़ खाना देवनगर का है, वहां जो बैल और गाय काटते हैं, उनके मांस का आप क्या करते हैं, क्यों कि इंडिया में तो खाते नहीं फिर आप उसका क्या करते हैं ?

दूसरे आपने कहा कि स्टेट्स कन्ट्रोल हैं, हमारा कंट्रोल नहीं है। पिछली बार बजट के पहले मैंने अमैंडमैंट दी कि देवनगर के बूचड़खाने के लिये बहुत बड़ी धनराशि आपने बजट में प्रोवाइड की है। मैंने कहा था कि आप अगर यह एश्योरेंस दें कि वहां गाय नहीं कटेगी तो मैं अपना कट-मोशन विद-ड्रा करता हूं। आप जो फाइनेन्स वहां दे रहे हैं, उस पर तो कोई चैक लगाइये, सैंटर से और पैसा तो मत दीजिये।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महाराष्ट्र में गाय के काटने हर बैन है, इसलिए देवनगर में गायों को काटने का प्रश्न नहीं उठता है। भैंस के मांस की बीफ कहते हैं।

श्री भीम सिंह : मैं गाय की बात नहीं कह रहा हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : गाय का मांस एक्सपोर्ट नहीं होता है, जैसा कि मेरे सीनियर साथी ने कहा है। एक्सपोर्ट-इमपोर्ट के मामलों को कामर्स मिनिस्ट्री तय करती है। उसने बताया कि गाय के मांस को एक्सपोर्ट करने परटोलबैन है। इसलिए उसको एक्सपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता है। यह सही है कि भैंस के मीट का एक्सपोर्ट होता है, जिसको क्रान्ड बीफ कहा जाता है।

(व्यवधान)

Subsidy for Coconut Crops

*211. PROF. P. J. KURIEN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government provide liberal subsidies for oilseed crops ;

(b) whether this subsidy is not extended to coconut plantation ;